अध्याय

6 न्यायिक प्रक्रिया

आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा, जिसने न तो पुलिस का ज़िक्र सुना है न ही उसे कभी देखा है। आम आदमी की बातों में या फिल्मों में अक्सर पुलिस का ज़िक्र आता है। आपके विचार में पुलिस के क्या–क्या काम होते हैं? क्या पुलिस वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं?

आपके अनुसार पुलिस के क्या–क्या काम होते हैं? लिखकर या चित्र बनाकर बताइये।

आइये, न्याय की प्रक्रिया व उसमें पुलिस, वकील व न्यायाधीश की भूमिकाओं को समझने का प्रयास आगे दी गई एक घटना के माध्यम से करते हैं।

विनोद आज अपने घर की नींव डालने के लिए मज़दूरों के साथ अपनी ज़मीन पर आया। विनोद की ज़मीन अवधेश के घर से सटी हुई थी। जैसे ही विनोद ने मज़दूरों से अपने नये घर की नींव खोदने की बात कही तभी अवधेश वहां आ

पहुंचा। उसने विनोद को अपने घर से 2 फीट हटकर नींव खोदने की बात कही पर विनोद नहीं माना। उसने कहा, मेरी "ज़मीन तो आपके घर से सटी हुई है और मेरी दीवार आपके घर की दीवार से सटी रहेगी। और उसने काम शुरू करवा दिया। इस पर अवधेश भड़क गया। दोनों तरफ से लोग झगड़ने लगे। तब किसी ने कहा, "भाई क्यों झगड़ते हो? क्यों नहीं अपनी बात ग्राम कचहरी में ले जाते हो।" ग्राम कचहरी ने ज़मीन के कागज़ात के आधार पर अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया है।

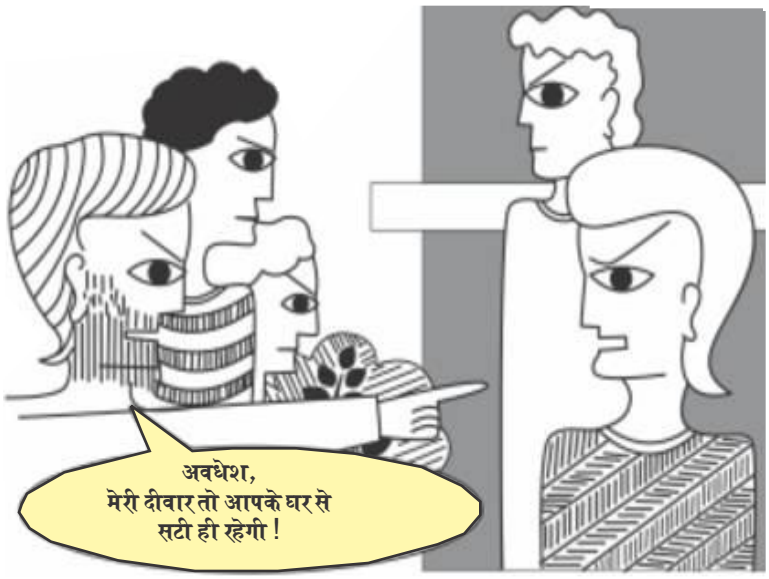

पर विनोद ने इस फैसले को नहीं माना और अगले दिन जब अवधेश अपने घर नहीं था तो विनोद ने उसकी दीवार से सटाकर अपनी दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया। शाम को जब अवधेश अपने घर वापस लौटा तो उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने उसी रात को विनोद के द्वारा तैयार की गई दीवार को तुड़वा दिया। सुबह जब विनोद को बात पता चली तो वे लाठी-डंडे के साथ अवधेश के यहाँ आया और अवधेश की जमकर पिटाई कर दी। उस पिटाई में अवधेश का एक हाथ भी टूट गया।

इन दोनों की लड़ाई को देखकर आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और बीच-बचाव करके बात को आगे बढ़ने से रोका। इसी बीच उस गांव का चौकीदार भी वहां आ पहुंचा। सत्येन्द्र एवं अरुण, जो अवधेश के पड़ोसी थे, उसे नज़दीक के अस्पताल ले गये। उन्होंने अस्पताल में अवधेश की जांच करवाई उसके हाथ पर

1. ग्राम कचहरी ने अपना फैसला अवधेश के पक्ष में क्यों सुनाया? चर्चा कीजिए।
2. क्या विनोद को अवधेश की पिटाई करनी चाहिए थी?
3. अगर विनोद ग्राम कचहरी के फैसले से संतुष्ट नहीं था तो उसे क्या करना

Developed by: ABSOL www.absol.in

थाने में रिपोर्ट

थाने में अरुण ने विनोद के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। दारोगा ने सादे कागज़ पर रिपोर्ट लिखी। यह मामले की पहली रिपोर्ट यानी एफ.आई.आर. या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी। अरुण ने उस पर हस्ताक्षर करके दारोगा से कहा, "आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए, और इस रिपोर्ट की एक प्रति मुझे भी दीजिए।" दारोगा ने कहा, "जब थाना प्रभारी आयेंगे तब आपकी रिपोर्ट रजिस्टर में लिखी जा

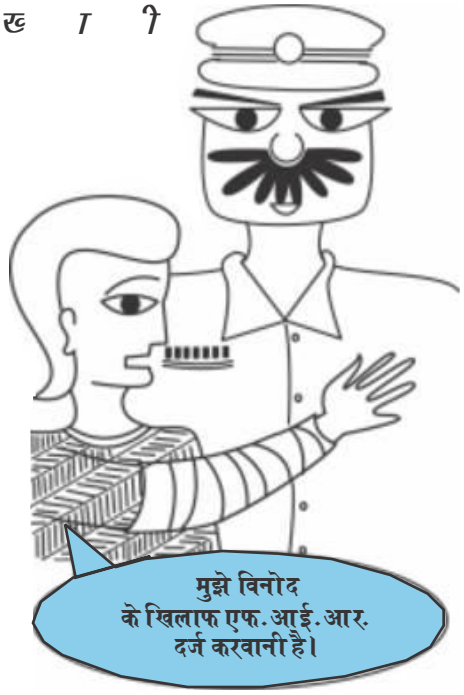

अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना

अवधेश ने अपना मामला एक सामान्य थाने में दर्ज करवाया परन्तु प्रत्येक ज़िले में एक विशेष थाना भी होता है जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने विरुद्ध हुए अत्याचार या अपराध के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके विरुद्ध किया गया अपराध एक खास तरह का अपराध माना जाता है।

एफ.आई.आर. (प्रथम दृष्टया रिपोर्ट)

थाने में एफ.आई.आर. कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति पढ़ा–लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके एफ.आई.आर. कर सकता है। मौखिक बताने पर दारोगा लिख लेता है, फिर पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले से हस्ताक्षर करवाता है। एफ.आई.आर. में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम और अपराध का समय होना ज़रूरी है। गवाहों के नाम भी एफ.आई.आर. में होने चाहिए। जानकारी देने वाले को एफ. आई.आर. की एक प्रति निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करता है तो डाक और इन्टरनेट के माध्यम से भी पुलिस

एगी।' थाना प्रभारी के आने तक अरुण, सत्येन्द्र, अवधेश एवं चौकीदार थाने पर रुके रहे। कुछ ही समय बाद थाना प्रभारी भी आ गए। उनसे अरुण ने रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

अवधेश जाने को तैयार हुआ, पर अरुण ने उसे रोककर थाना प्रभारी से एफ.

1. थाने में रिपोर्ट लिखवाना क्यों ज़रूरी है?
2. अगर आपके घर में चोरी हो जाये तो आप कैसे रिपोर्ट लिखवायेंगे ? विवरण लिखिये।
3. एफ.आई.आर. की कॉपी क्यों ज़रूरी है?

मामले की छानबीन

एफ.आई.आर. के आधार पर थाना प्रभारी ने दारोगा से मामले की छानबीन करने को कहा। दारोगा उसी दिन अवधेश के घर पहुंचा। पहले तो उसने अवधेश की चोटें देखीं। डॉक्टर की पर्ची से पता चला कि चोटें काफी गंभीर हैं। उसने अवधेश के पड़ोसी से पूछताछ की। पड़ोसियों ने मारपीट का विवरण दिया। दारोगा को विश्वास हो गया कि अवधेश को मारपीट से ही इतनी चोट लगी थी।

वह विनोद के पास गया और उसको बताया कि वह उसे अवधेश को गंभीर चोट पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दारोगा उसे अपने साथ थाने ले गया। वहां उससे पूछताछ की। विनोद इस बात से इन्कार कर गया कि उसने अवधेश की पिटाई की है।

गिरफ्तारी

किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह बताना ज़रूरी है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उसे यह नहीं बताया जाता है तो उसको यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछे। बिना अपराध बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24

घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. एफ.आई.आर. की शिकायत के मामले में पुलिस छानबीन से क्या पता लगाने की कोशिश करती है?
2. मामले की छानबीन के लिए पुलिस को मार-पिटाई का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए?
3. किसी भी अपराधी द्वारा थाने में अपना जुर्म कबूल करने पर उसे वहीं पर ही सज़ा क्यों नहीं सुनाई जा सकती?

ज़मानत

थाना प्रभारी ने विनोद को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। तब थानेदार ने विनोद को बताया, "तुम्हारा जुर्म ज़मानतीय है, इसलिये तुम्हें किसी की ज़मानत पर छोड़ा जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसके पास ज़मीन-जायदाद हो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले सकता है।" उसने आगे समझाया, "यदि वह तुम्हारी ज़मानत ले तो तुम्हें घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास भी कुछ ज़मीन-जायदाद है तो तुम भी बॉण्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो वह जायदाद ज़ब्त कर ली जाएगी।"

विनोद ने बताया कि उसके पास पांच एकड़ ज़मीन है। फिर उसने अपने लिए

2- bLk dgkUkh Eksa fOkUkksn dk TkqEkZ t+EkkUkRkh gS ¸kk XkSj&t+EkkUkRkh\

बॉण्ड भर दिया। थानेदार ने उसे यह भी बताया, "कल तुम्हें पेशी के लिए अदालत आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो।"

गैर-ज़मानती अपराध

विनोद तो ज़मानत पर छूट गया पर सभी जुर्म ज़मानती नहीं होते। चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत आदि जुर्मों में गिरफ्तार लोगों को ज़मानत पर छूटने का अधिकार नहीं है। ऐसे गैर-ज़मानती जुर्मों में भी मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) को ज़मानत की अर्ज़ी दी जा सकती है। फिर यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि ज़मानत मंज़ूर करे या इंकार कर दे।

1- t+EkkUkRk dk lkzkOk/kkUk D¸kksa j[kk Xk¸kk gS\

पहली पेशी

अगले दिन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेशी होने वाली थी। यह कचहरी जिला मुख्यालय आरा में थी। कचहरी के आस-पास काफी लोग थे। वे थे काले कोट पहने हुए वकील, कई अभियुक्त (अर्थात् वे लोग जिनके खिलाफ किसी अपराध की शिकायत दर्ज थी) और दूसरे मामलों की पेशी के लिए आये कई लोग। विनोद, अवधेश, अरुण, विनोद का पुत्र, थाना प्रभारी और दारोगा भी वहां थे। विनोद ने अपना वकील कर लिया था। पुलिस की ओर से सरकारी वकील मुकदमा लड़ रहा था। कुछ ही देर में विनोद की पेशी की पुकार हुई।

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने यह इस मुकदमे की पहली पेशी थी। थानेदार ने विनोद के वकील को एफ.आई.आर. और पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति दे दी ताकि उसे यह पता रहे कि विनोद पर क्या इल्ज़ाम लगाये गये हैं। यह भी पता हो कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठी की गई है। इन सारी बातों को जानने के बाद ही विनोद का वकील उसका बचाव कर सकता था। सरकारी वकील ने विनोद पर अवधेश को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। विनोद ने इल्ज़ाम कबूल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने 25 दिन बाद अगली पेशी की तारीख दी।

गवाह और पेशी

विनोद ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाहों में दिये थे। अवधेश ने जो

1. आरोपी को आरोप पत्र की कॉपी मिलना क्यों ज़रूरी है?

2. किसी भी मामले में दोनों पक्षों के वकील का होना क्यों आवश्यक है?

3. किसी भी मुकदमे में गवाहों को पेश करना व उनसे पूछताछ करना क्या ज़रूरी है?

4. पुलिस और मजिस्ट्रेट के काम में क्या

मामला आखिरकार कोर्ट में पहुँचा, जहाँ न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला सुनाया।

25 दिन बाद जब दूसरी पेशी की तारीख आई तब सब आरा की कचहरी पहुंचे। पहले सरकार की तरफ से एक गवाह को बुलाया गया। उसने उस दिन की सारी बात बताई। फिर दोनों तरफ के वकीलों ने उससे पूछताछ की। ऐसे दो गवाहों की गवाही के बाद मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दे दी।

इस तरह Developed by: SOL www.absol.in और फिर अगली पेशी की तारीख ... को हर पेशी पर अपने वकील को फीस देनी पड़ती। करीब एक साल तक पेशियां चलती रहीं। फिर मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि विनोद अवधेश की गंभीर पिटाई करने का दोषी है इसलिए उसे चार साल की कैद होगी।

सत्र न्यायालय में अपील

विनोद फैसले से असंतुष्ट था। विनोद के वकील ने बताया, "सत्र न्यायालय

उच्च न्यायालय, पटना

1. अपील के प्रावधान का क्या उद्देश्य है?
2. ऊपर की अदालतों द्वारा अपील के मामले में दिये गये फैसले नीचे की अदालत को क्यों मानने पड़ते हैं?
3. कई मुकदमे कई साल तक चलते हैं। ऐसा क्यों होता है?

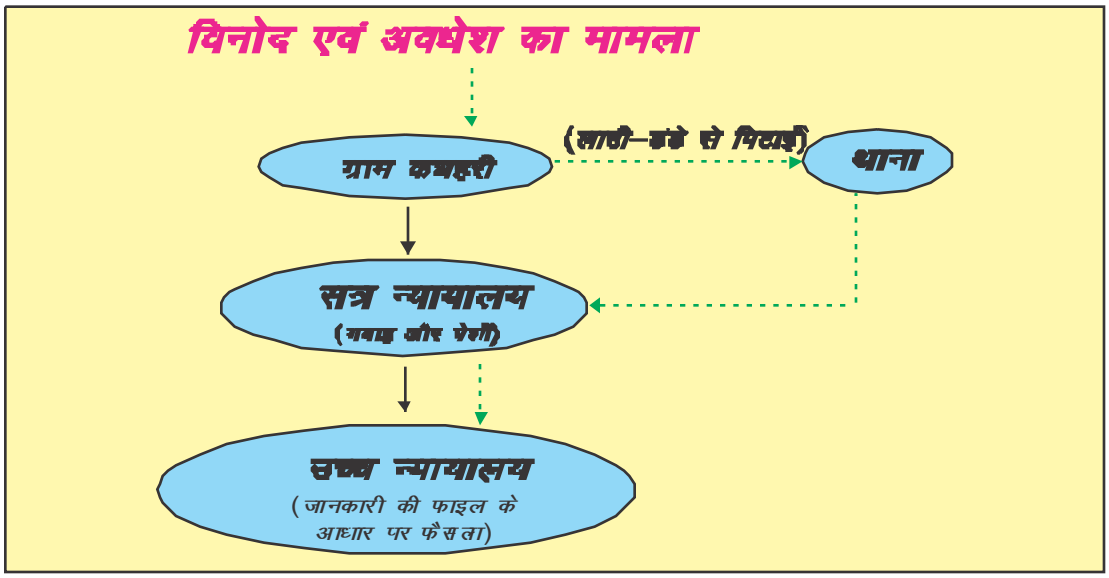

में अपील की जा सकती है। सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट से ऊपर होते हैं और मजिस्ट्रेट का फैसला बदल सकते हैं। हो सकता है सत्र न्यायाधीश तुम्हें दोषी न ठहराये या सज़ा कम कर दे।" विनोद के वकील ने सत्र न्यायालय में अपील कर दी। इसके कारण सत्र न्यायाधीश ने विनोद की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा। फिर सत्र न्यायालय में मुकदमा चलता रहा। दो साल बाद सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुना दिया। उसने विनोद की सज़ा चार साल से तीन साल कर दी।

उच्च न्यायालय

सत्र न्यायाधीश का फैसला सुनकर विनोद हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, "क्या ये फैसला बदला जा सकता है?" वकील ने बताया, "सभी राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। वह उस राज्य की सबसे बड़ी कचहरी होती है। किसी भी मुकदमे के फैसले प्रदेश के उच्च न्यायालय में बदले जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में अभियुक्त या गवाह नहीं बुलाये जाते। वहां पर तो केवल जानकारी की फाइल के आधार पर ही फैसला होता है? हमारे राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है। तुम चाहो तो अपील कर सकते हो। हो सकता है सज़ा और कम हो जाये।" विनोद ने वकील को और फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर ली और कुछ समय बाद फैसला दिया। लेकिन विनोद उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सत्र न्यायाधीश ने दी थी। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा।

दीवानी और फौज़दारी मामले

विनोद बहुत दुखी था। उसने अपने वकील से कहा, "इतने साल मैं जेल में रहूंगा तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं

इस अध्याय में हमने विनोद और अवधेश के बीच होने वाली फौज़दारी मुकदमे की चर्चा की है। ऐसे मामलों का स्वरूप तथा इनके लिए दण्ड के प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये हैं। विनोद और अवधेश का यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत आता है। ऐसा कोई भी मामला जिससे समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है, फौज़दारी मामला माना जाता है। फौज़दारी मामलों में पुलिस में रिपोर्ट कैसे की जायेगी या पुलिस के अधिकारी न्यायालय में मुकदमा कैसे दायर करेंगे, ये सारे बिन्दु आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) में दिये गये प्रावधानों के तहत तय किये जाते हैं।

अभ्यास के प्रश्न

1. इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हां तो उन बिन्दुओं की सूची बनाइये जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पता चलती है।

2. क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखिये।

3. पाठ के आधार पर निम्नलिखित के कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिये। आप यह भी बताइये कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों?

पुलिस

– प्रथम रिपोर्ट दर्ज करना

.....

.....

.....

वकील

– अपने–अपने पक्ष में सबूत पेश करना व उनकी जांच–पड़ताल करना।

.....

.....

.....

न्यायाधीश

– मुकदमे को सुनना

.....

.....

.....

4. अध्याय में दी गयी जानकारियों के आधार पर निम्न तालिका को भरिये।

दीवानी मामले	फौजदारी मामले

5. मान लो आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन–किन बातों का ध्यान रखेंगे?

6. भारत में अपनायी जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या–क्या कमियां हैं? इन कमियों को दूर करने के लिए क्या–क्या करना चाहिए?

★★★